International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की भूमिका

जयेश कुमार[1], डॉ. जे. बी. पाल[2]

[1]शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, उ.प्र।

[2]प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग लाल बहादुर शास्त्री पी.जी. कॉलेज गोंडा, उ. प्र।,

सारांश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जो ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में एक क्रांतिकारी कदम है। इसने लाखों ग्रामीण लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल श्रमिकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण गरीबी एवं बेरोजगारी के दोहरे मुद्दों के समाधान की दिशा में अग्रसर है। यह ना केवल ग्रामीण समुदायों के आर्थिक उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है बल्कि उन्हें आय का एक स्रोत प्रदान करके उनके कौशल, आत्म-सम्मान और वित्तीय स्थिरता को भी बढ़ाती है। चूंकि भारत एक विकासशील देश है जिसकी दो तिहाई से अधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। आजादी के 76 वर्षों के बाद भी आज भारत की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं हैं क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि भारत सही मायने में तभी स्वतंत्र कहा जाएगा जब उसके गाँवो में रहने वाली जनसंख्या की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बेहतर होगी क्योंकि भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा गाँवों से ही मिलकर बना है। गांधी जी ने गाँवों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था कि यदि गाँव नष्ट होते हैं तो भारत स्वतः नष्ट हो जाएगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक योजनाएं भी चलाई गई लेकिन फिर भी आज गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। इसी समस्या समाधान की कड़ी में सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 संसद में पारित किया गया जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की नींव पड़ी। 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम महात्मा गांधी के साथ जोड़कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) किया गया। इस योजना में यह प्रावधान किया गया कि भारत में प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवारों को एक वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना है। यदि सरकार काम नहीं दे पाती हैं तो

बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। यह भारत की पहली योजना है जो कानूनी रूप से रोजगार की मांग करने का अधिकार देती हैं। इस योजना का दूसरा प्रमुख पहलू संपत्ति निर्माण पर जोर देना है, इसमें सड़कों, जल संरक्षण संरचनाओं और सिंचाई प्रणालियों जैसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करना है। ये संपत्तियां न केवल कृषि उत्पादकता में सुधार करती हैं बल्कि ग्रामीण समुदायों के बाजार तक पहुंच को भी सुनिश्चित करती हैं। यह योजना ग्रामीण भारत में लैंगिक असमानताओं को दूर करने तथा पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन को बढ़ावा देकर कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाती है। इसके अलावा, यह योजना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करके इसमें होने वाले रिसाव को रोकती है ताकि इच्छित लाभार्थियों को उसका लाभ मिल सकें।

मुख्य शब्द - मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, आजीविका, लॉकडाउन, कोविड-19, आत्मनिर्भरता, ग्रामीण विकास, सामाजिक समावेशन, कौशल निर्माण, प्रवासन, आर्थिक विकास।

प्रस्तावना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भारत का एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवारों को एक वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान करना है। इस योजना का प्रथम चरण 2 फरवरी 2006 को भारत के 200 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में लागू किया गया और 1 अप्रैल 2008 से भारत के सभी जिलों में लागू कर दिया गया।[1] यह भारत की पहली ऐसी योजना है जो कानूनी रूप से रोजगार की मांग करने का अधिकार देती हैं। यह योजना ग्रामीण भारत की अधिकांश आबादी को गारंटीयुक्त रोजगार प्रदान करके गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करने का प्रयत्न करती है और साथ ही भारत के ग्रामीण विकास एवं आधारभूत संरचना मजबूती प्रदान करती है। विगत कुछ वर्षों से यह योजना सबसे अधिक चर्चा में रही है क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण शहरी क्षेत्रों से अपने मूल गाँव लौटें श्रमिकों को बड़े पैमाने पर रोजगार देकर उनके लिए सुरक्षा कवच प्रदान किया है। इस प्रकार यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावशाली सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है। इस योजना ने ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः यह योजना अपनी बहुमुखी भूमिका का निर्वाह करते हुए ग्रामीण आजीविका, सामाजिक समावेशन और आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

साहित्य का सर्वेक्षण

डॉ मोहम्मद तौफीक, डॉ मोहम्मद अरेफुल हक एवं मोहम्मद रजा कौशर हाशमी (2023)[2] ने "भारत में रोजगार सृजन, ग्रामीण गरीबी को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवासन में महात्मा गाँधी नरेगा योजना के

आकलन" पर एक समग्र अध्ययन किया। प्रस्तुत अध्ययन से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रतिपादित किए गए। यह योजना गरीबी को कम करने के लिए उठाया गया एक सशक्त कदम है जो ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन पैदा करके ग्रामीण शहरी प्रवास को काम करता है। वास्तव में यह योजना ग्रामीण भारत रीढ़ है। इसने बीमारू राज्यों जैसे - बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण गरीबी एवं बेरोजगारी को कम किया है लेकिन इसके बावजूद भी आज वहां पर भुखमरी से होने वाली मौतें, किसानों की आत्महत्या एवं पलायन जैसी घटनाएं बढ़ी है। इस योजना के अंतर्गत अनुमेय कार्यों जैसे - वृक्षारोपण, बाढ़ एवं सूखा राहत कार्यक्रम तथा सिंचाई जैसे कार्यों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इससे ग्रामीण मजदूरों के सामाजिक आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुई है। इस योजना के माध्यम से पहली बार ग्रामीण महिलाओं को सुनिश्चित रोजगार का अवसर मिला है इससे उनकी भागीदारी बढ़ी है जो उन्हें आर्थिक रूप से और अधिक मजबूती प्रदान करती है।

आशीष राणा (2022)[3] ने "भारत में कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान मनरेगा द्वारा निभाई गई भूमिका" पर एक अध्ययन किया। अपने अध्ययन में यह पाया कि ग्रामीण आजीविका को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा भरपूर प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुफ्त राशन का वितरण भी किया गया। मनरेगा के साथ-साथ महिलाओं के लिए नगद हस्तांतरण की व्यवस्था की गई। अपने अध्ययन में इन्होंने यह सुझाव दिया कि इस योजना के तहत कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि की जाए ताकि ग्रामीण गरीब परिवारों को संकट की घड़ी में आजीविका का साधन मिल सके।

मनभंजन साहू, प्राण कृष्ण पाणिग्रही, प्रवाश आर. महापात्र (2021)[4] ने "ग्रामीण आजीविका पर मनरेगा योजना का प्रभाव : एक पूर्व-पोस्ट विश्लेषण" का अध्ययन किया। यह अध्ययन लोगों की आजीविका पर मनरेगा योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया। यह अध्ययन ओडिशा राज्य के रायगड़ा जिले के संबंध में है। अध्ययन के नतीजों से पता चलता है कि मनरेगा योजना ने मूल्यवान संपत्ति बनाकर सामाजिक-आर्थिक स्थिति में वृद्धि के माध्यम से लाभार्थियों के जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ क्रय शक्ति में सुधार लाने में मनरेगा कार्यक्रम का महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया। इस योजना में बिना किसी असमानता के स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए समान वेतन की गारंटी दी गई है और उच्च वेतन की पेशकश करके लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार किया। इस कार्यक्रम से राज्य के विभिन्न परिवारों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के संचालन से ग्रामीण परिवारों की बेहतर आजीविका सुनिश्चित हुई है। अब इस योजना के लक्ष्य धीरे-धीरे लोगों के जीवन में समग्र कल्याण के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

मंजुश्री पारुचूरू, सुधा मावुरी, ललिता नम्मी (2020)[5] ने "भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का आर्थिक प्रभाव-महामारी पर काबू पाने के सरकारी उपाय" पर एक अध्ययन किया। अपने अध्ययन में यह पाया कि कोविड-19 महामारी स्वास्थ्य संकट और आर्थिक संकट के मामले में अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाल रही है। महामारी के

प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार ने अलग-अलग दृष्टिकोंण अपनाएं- 25 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 तक तीन सप्ताह का लॉकडाउन, कारखानों को बंद करना और लोगों की गतिशीलता पर बहुत अधिक प्रतिबंध लगाया। कोविड-19 जैसी बड़े पैमाने की महामारी में इसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर महसूस किया गया क्योंकि श्रम और पूंजी बाजारों में व्यापार और बाजार एकीकरण के कारण अंततः इसका प्रसार होता है। कोविड-19 महामारी के गंभीर प्रभाव के कारण शहरी और ग्रामीण जीवन एक साथ ठप्प हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि देश की समस्त जनता को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। तीन सप्ताह के लॉक डाउन अवधि के दौरान देश को लगभग साढ़े 12 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ। आर्थिक विकास में स्थिरता लाने के लिए भारत सरकार ने 12 मई, 2020 को 20 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की, जो सकल घरेलू उत्पाद का 10% अनुमानित है। महात्मा गांधी ने कहा था कि "भविष्य इस पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं।" इसलिए वर्तमान प्रोत्साहन पैकेज निर्णय वर्तमान में और भविष्य की वृद्धि के लिए आर्थिक गतिविधि का समर्थन करेगा।

योजना के मुख्य प्रावधान

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेग्स), जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के रूप में भी जाना जाता है, भारत में एक ऐतिहासिक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है जिसे 2005 में ग्रामीण लोगों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से संसद में पारित किया गया। इसमें ग्रामीण परिवारों को गारंटीकृत रोजगार के अवसर प्रदान किया गया। यह योजना महात्मा गांधी के सिद्धांतों और दर्शन से प्रेरित है, जो श्रम की गरिमा और ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण में विश्वास पर आधारित है। इस योजना के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं[6]-

1. मनरेगा योजना में एक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अनुरोध पर, कम से कम 100 दिनों के काम पाने का हकदार है। इसमें सड़कों का निर्माण, जल संरक्षण, वनीकरण एवं परिसंपत्ति निर्माण जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
2. यह योजना मांग-संचालित है, जिसका अर्थ है कि पात्र परिवारों के अनुरोध पर रोजगार प्रदान किया जाता है, और सरकार आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम देने करने के लिए बाध्य है; अन्यथा, पात्र परिवारों को मुआवजे के रूप में बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया जाता है।
3. इस योजना में न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है और समय-समय पर संशोधित किया जाता है। इस योजना के तहत श्रमिक कम से कम इस न्यूनतम मजदूरी दर पर मजदूरी प्राप्त करने के हकदार हैं। इस योजना के तहत मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में किया जाता है। ताकि रिसाव और भ्रष्टाचार को कम किया जा सके।
4. मनरेगा योजना में महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों सहित हाशिये पर रहने वाले कमजोर समूहों की भागीदारी पर भी जोर देता है। लाभार्थियों में कम से कम एक तिहाई महिला होने का प्रावधान

भी हैं ताकि योजना से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा सके।

5. यह योजना विभिन्न उपायों के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है। पात्र परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए जाते हैं, जिसमें घर के सदस्यों और उन्हें प्रदान किए गए काम का विवरण दर्ज होता है। योजना के प्रभावित क्रियान्वयन एवं श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नियमित रूप से सामाजिक ऑडिट किया जाता हैं और लाभार्थियों द्वारा सामना की जाने वाली किसी भी शिकायत या समस्या के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था होती हैं।

इस प्रकार यह योजना एक परिवर्तनकारी सामाजिक कार्यक्रम है जो गारंटीयुक्त रोजगार के अवसर, उचित मजदूरी, पारदर्शिता और जवाबदेही की पेशकश करके ग्रामीण परिवारों को सुरक्षा जाल प्रदान करता है। यह न केवल ग्रामीण भारत में बेरोजगारी के मुद्दों को संबोधित करता है, बल्कि अधिक न्यायसंगत और सशक्त ग्रामीण समाज के लिए महात्मा गांधी के दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास, प्राकृतिक संसाधन, संरक्षण और गरीबी उन्मूलन में भी योगदान देता है।

ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की भूमिका

ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के योगदान को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट किया गया हैं[7]-

(1) रोजगार सृजन कार्यक्रम

यह योजना रोजगार सृजन करके आजीविका संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। यह योजना एक वित्तीय वर्ष में भारत के ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार प्रदान करती हैं। यह रोजगार ग्रामीण क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों को प्रदान किया जाता है जिसके द्वारा भारत के ग्रामीण आधारभूत ढांचे का निर्माण, भूमि विकास, जल संरक्षण, सड़क संपर्क मार्ग और वृक्षारोपण जैसे कार्यों की प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार मौसमी बेरोजगारी को कम करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करती हैं। यह योजना भारत के केवल ग्रामीण परिवारों के लिए आय स्रोत के रूप में ही नहीं बल्कि उनकी उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करती है और भविष्य में उन्हें बचत करने तथा आय सृजन गतिविधियों में निवेश करने के लिए भी सक्षम बनाती हैं। इस प्रकार यह योजना भारत के ग्रामीण समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है।

(2) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

यह योजना गरीबी का उन्मूलन करके सामाजिक समावेशन की दिशा में एक सशक्त कदम है। यह योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली गरीबी को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। समाज के हाशिए पर रहने वाले आर्थिक रूप से वंचित लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। खास तौर पर अनुसूचित जाति,

अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार देकर उनकी गरीबी और आय असमानताओं को कम करती हैं। इतना ही नहीं, यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में प्रभावशाली रही हैं क्योंकि इस योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को उनके घर के आसपास में उन्हें रोजगार प्रदान करती है और आर्थिक रूप से उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है जिसके कारण उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। इस योजना ने महिलाओं को अपने परिवार में आर्थिक निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को बढ़ाया है।

(3) बुनियादी ढांचे का विकास

महात्मा गांधी नरेगा योजना से ग्रामीण भारत में बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत सड़क संपर्क मार्ग, पुलों एवं नहरों के निर्माण होने से ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। इससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे ने परिवहन लागत को कम करके बाजार तक पहुंच को सुनिश्चित किया है। इसी योजना ने ग्रामीण भारत में भूमि संरक्षण एवं जल प्रबंधन व्यवस्था को भी मजबूत किया है जिसके कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। इस प्रकार इस योजना ने ग्रामीण किसानों एवं मजदूरों की आत्मनिर्भरता को बढ़ा करके सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(4) प्रवासन में कमी

महात्मा गांधी नरेगा योजना ने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की तलाश करने वाले ग्रामीण युवकों को रोजगार का अवसर प्रदान करके उनके प्रवसन को कम किया है। इससे न केवल शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव कम हुआ है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम शक्ति भी बरकरार रही हैं। इस प्रकार इस योजना ने ग्रामीण समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। जिसने गांव से मानव संसाधनों की कमी को रोका है और उनके विकास में अपने स्थानीय क्षमता के अनुसार दोहन करने की अनुमति दिया है।

(5) कौशल विकास का सृजन

इस योजना ने कौशल विकास के द्वारा क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, जिसने न केवल रोजगार प्रदान किया है बल्कि ग्रामीण श्रमिकों के बीच कौशल विकास के द्वारा क्षमता निर्माण को बढ़ाया है। इसके कार्यों की विविध प्रकृति ने श्रमिकों की सामुदायिक भागीदारी और सामूहिक निर्णय लेने की शक्ति को भी बढ़ावा दिया है। मनरेगा कार्यो में लगे हुए श्रमिक ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेते हैं जिससे स्थानीय शासन और विकास पहलों में उन्हें अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। इससे सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।

(6) पर्यावरणीय स्थिरता

इस योजना ने पर्यावरण स्थिरता को एकीकृत किया है। इससे वनीकारण, मिट्टी, जल संरक्षण और बंजर भूमि के सुधार जैसे पहलू के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण पुनर्जन्म में अपना योगदान दिया है। इससे राष्ट्रीय

संसाधनों का आधार बढ़ा है, रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं जिसके परिणाम स्वरुप ग्रामीण समुदायों की आत्मनिर्भरता और अधिक मजबूत हुई है। इस योजना ने टिकाऊ विकास की पद्धतियों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया है। जैविक खेती और वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करके सिंचाई व्यवस्था को मजबूत किया है जिससे ग्रामीण किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत हुई है।

निष्कर्ष

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अपनी शुरुआत से ही ग्रामीण भारत में सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण आबादी को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ सतत विकास को बढ़ावा देना है। इन वर्षों में, मनरेगा ने न केवल अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है, बल्कि ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और गरीबी को कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और ग्रामीण भारत में सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने में इस योजना ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। सर्वप्रथम, इस योजना ने लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में काम किया है। प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देकर, इसने आय का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान किया है, अनियमित कृषि आय पर निर्भरता को कम किया है और मौसमी बेरोजगारी से जुड़े संकट को कम करके वित्तीय स्थिरता प्रदान किया है। जिससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है। द्वितीय, इस योजना के द्वारा सड़क मार्गों, जल संरक्षण संरचनाओं और सिंचाई सुविधाओं जैसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। ये संपत्तियां न केवल बाजारों और सेवाओं तक पहुंच में सुधार करती हैं बल्कि कृषि उत्पादकता को भी बढ़ावा देती हैं। इससे उनमें स्वामित्व और आत्मनिर्भरता की भावना पैदा हुई है। तृतीय, इस योजना ने टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण और आय स्रोतों के विविधीकरण के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया है। कई व्यक्ति जो कभी पूरी तरह से कृषि पर निर्भर थे, उन्होंने अब कमाई के लिए नए कौशल और रास्ते हासिल कर लिए हैं, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है। चतुर्थ, मनरेगा ने समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करके हाशिए पर रहने वाले समूहों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाया है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जिससे घरों में वित्तीय स्वतंत्रता और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ी है। इससे न केवल लैंगिक असमानताएं कम हुई हैं बल्कि ग्रामीण समुदायों की समग्र आत्मनिर्भरता भी मजबूत हुई है। इस प्रकार, यह योजना ग्रामीण भारत में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में रही है, जिसने ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रोजगार के अवसर प्रदान करना, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण, हाशिए पर रहने वाले समूहों को सशक्त बनाना और कौशल विकास को बढ़ावा दिया है। इस प्रकार मनरेगा ग्रामीण समुदायों की आर्थिक भलाई करके ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने में अपनी सफल भूमिका का निर्वहन किया है।

संदर्भ ग्रंथ :

1. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, दिशा-निर्देश 2013, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ-3
2. Taufique, M., Hoque, M.A. & Hasmi, M.R.K.(2023).Assessment of MGNREGA Scheme in Employment Generation, Reducing Rural Poverty and Rural-Urban Migration in India: An Overview. International Journal of Research Publication and Reviews, Vol 4, no 2, pp 809-818.
3. Rana, A. (2022). Role Played by MGNREGA during Covid-19 Lockdown Period in India. International Journal of New Media Studies (IJNMS), ISSN:2394-4331, Volume 9, Issue 1
4. Sahu, M., Panigrahi, P.K. & Mohapatra,P.R.(2022). Effects of MGNREGA Scheme on Rural Livelihood: An Ex-Post Analysis. Vol.6, No. 5, 3802-3810
5. Paruchuru, M., Mavuri, S. & Nammi, L. (2020). Economic impact of Covid-19 on Indian economy - government measures to contain the pandemic. Vol. 7, ISSN-2394-5125
6. MGNREGA SAMEEKSHA 2006-2012, Ministry of Rural Development, Government of India, Page no. 2-3
7. https://nrega.nic.in